[2022] 16 एस. सी. आर 897

नगरपालिका समिति, बरवाला, जिला

हिसार, हरियाणा अपने सचिव/राष्ट्रपति के माध्यम से

वी.

जय नारायण और कंपनी और ए. एन. आर.

(2022 की सिविल अपील संख्या 2222)

29 मार्च, 2022

[हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

हरियाणा नगरपालिका सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1974: एस. 5 एस के साथ पढ़ें। 10 (2) (ई) 2-हरियाणा नगरपालिका नगरपालिका संपत्ति और राज्य संपत्ति प्रबंधन नियम, 1976-आर। 2 (3) , 2 (4) - नीलामी बिक्री-अंतर-विभागीय संचार और/या फाइल पर टिप्पणियाँ-प्रासंगिकता-के लिए प्रतिवादी ने मुकदमा दायर किया बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा इस आधार पर कि वह

नीलामी के आधार पर एक वास्तविक खरीदार है और मुकदमा भूमि के मालिक के रूप में कब्जे में है-नगर समिति का मामला है कि वह सक्षम प्राधिकारी की उचित मंजूरी के बिना बिक्री विलेख को निष्पादित करने में असमर्थ है-राज्य सरकार-प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया गया-कहा गया आदेश पहली और दूसरी अपील में बरकरार रखा गया-इस अदालत के समक्ष अपील में, नगर परिषद के मामले में कि जिस नीलामी में प्रत्यर्थी सबसे अधिक बोली लगाने वाला था, उसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और जब तक नीलामी की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक यह प्रत्यर्थी को कोई न्यायसंगत और कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करेगी और यह बिक्री की पुष्टि और बोली स्वीकार करने वाला पत्र जारी होने के बाद ही होगी।

आयोजित किया गयाः आर का उप-नियम (ii)। 2 (3) विचार करता है कि नीलामी द्वारा कोई भी बिक्री तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि डिप्टी द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है।

आयुक्त-प्रत्यर्थी द्वारा संदर्भित संचार है

उपायुक्त द्वारा संचार नहीं

नगरपालिका या प्रत्यर्थी को कि बिक्री की पुष्टि हो गई है, यह एक अंतर-विभागीय संचार है जिसमें प्रत्यर्थी को उक्त संचार की प्रति का कोई समर्थन नहीं है-अंतर-विभागीय संचार और/या फाइल पर टिप्पणियाँ राज्य के निर्णय नहीं हैं-इस प्रकार, उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन मांगने वाला पत्र अनुमोदन नहीं है। उसके द्वारा प्रदान किया गया, जिसे वादी द्वारा कानून की अदालत में लागू किया जा सकता था-मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि कोई निहित नहीं था

प्रत्यर्थी को केवल सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के आधार पर ऐसी डिक्री का दावा करने का अधिकार है; और भले ही प्रत्यर्थी को नीलामी के आधार पर कोई अधिकार हो, वह तथाकथित समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा कर सकता है-प्रत्यर्थी को न केवल सीमा की अवधि से परे, बल्कि क़ानून और उसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में भी अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए डिक्री दी गई थी-नीचे दी गई अदालतों द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया गया है-प्रत्यर्थी के कब्जे में है, जो अवैध और कानून के अधिकार के बिना पाया जाता है-नगर पालिका तुरंत कब्जा कर लेगी-नीलामी की राशि नीलामी की तारीख से 20 साल से अधिक समय तक भूमि के अवैध कब्जे के नुकसान के लिए जब्त कर ली जाएगी।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 हरियाणा नगरपालिका नगरपालिका संपत्ति और राज्य संपत्ति प्रबंधन नियम, 1976

दो अधिनियमों को डिप्टी द्वारा पूरा करने पर विचार करता है

वादी। इस प्रकार, दिनांक 10.1.2007 (Ex. P./34) पर वादी की निर्भरता उसके द्वारा उठाए गए तर्क के लिए सहायक नहीं है क्योंकि यह उपायुक्त की ओर से निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय को अंतर-विभागीय संचार है। मंजूरी लेने के लिए विभाग लेकिन किसी भी मंजूरी के अभाव में, कोई अधिकार अर्जित नहीं होगा। [पैरा 10] [903-सी-एफ

1.2 उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन की मांग करने वाला पत्र उनके द्वारा दी गई मंजूरी नहीं है, जिसे वादी द्वारा अदालत में लागू किया जा सकता है।

[पैरा 17] [908-सी-डी] नगरपालिका समिति, बरवाला, जिला। हिसार, हरियाणा। इसके सचिव/राष्ट्रपति v. जय नारायण और कंपनी

1.3 मुकदमा इस कारण से बनाए रखने योग्य नहीं था कि वादी के पास केवल सार्वजनिक नीलामी में भागीदारी के आधार पर ऐसी डिक्री का दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं था। दूसरा, भले ही वादी को नीलामी के आधार पर कोई अधिकार हो, वह तथाकथित समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा कर सकता है। [पैरा 18] [908-डी-ई]

1.4 वादी को अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए डिक्री दी गई है जो न केवल सीमा की अवधि से परे है बल्कि कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन। निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और डिक्री निर्धारित की गई हैं।

एक तरफ। वादी के कब्जे में है, जो अवैध और कानून के अधिकार के बिना पाया जाता है। नगरपालिका तुरंत भूमि पर कब्जा कर लेगी और तीन महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 1, 76, 150/- की राशि कानून के उल्लंघन में नीलामी की तारीख से 20 साल से अधिक समय तक भूमि पर अवैध कब्जे के नुकसान के लिए जब्त की जाएगी। [पैरा 27 और 28] [912-डी-ई]

राजेंद्र प्रसाद और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और अन्य, ए. आई. आर. 1980 पी एंड एच 37; पंजाब राज्य और अन्य। वी. मेहर दिन, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 250; बचित्तर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 395 [1962] पूरक। एस. सी. आर. 713; भारत संघ बनाम। अवतार सिंह (1984) 3 एस. सी. सी. 589 [1984] 3 एस. सी. आर. 391; उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम। मेस्को स्टील्स लिमिटेड और एक और (2013) 4 एससीसी 340: [2013] 2 एससीआर 245; हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य। वी. ऑर्किड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (2017) 4 एससीसी 243: [2017] 1 एस. सी. आर. 847-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 1 एससीआर 847

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[1962] पूरक। एससीआर 713

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[1984] 3 एससीआर 391

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[2013] 2 एससीआर 245

संदर्भित किया गया है

[2022] 16 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2222

2022 तक।

2018 के आर. एस. ए. सं. 1213 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

परवीन कुमार अग्रवाल, अभिषेक ग्रोवर, संजय जैन, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

संचार आनंद, अनंत कुमार वात्स्या, शिव कुमार, देवेंद्र सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. नगरपालिका समिति, बरवाला 1 दिनांकित 1.5.2018 के फैसले के खिलाफ अपील में है, जिसके तहत उसकी दूसरी अपील प्रतिवादी-वादी द्वारा मांगी गई 55 कनाल 5 मरला की भूमि के संबंध में बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे से उत्पन्न हुई थी।

2. प्रत्यर्थी-वादी ने उप-मंडल अधिकारी, हिसार द्वारा आयोजित एक खुली नीलामी के आधार पर स्वामित्व और कब्जे का दावा किया, जो 23.3.1999 @2,32,000/- प्रति एकड़ पर किया गया था, जब 25.10.1995 पर विचाराधीन भूमि की नीलामी के लिए मंजूरी दी गई थी। कुल बिक्री पर विचार Rs.15,76,150/- आता है जिसे नगर समिति के पास जमा किया गया था। वादी ने इस प्रकार दावा किया कि वह एक वास्तविक खरीदार है और सूट भूमि के मालिक के रूप में उसके कब्जे में है। उन्होंने रुपये की राशि को समायोजित करने के बाद शेष राशि जमा की।

पहले से ही नगर समिति के पास जमा किया गया है।

3. वादी दावा करता है कि नगरपालिका समिति ने बिक्री विलेख को निष्पादित और पंजीकृत करने के लिए 1.5.2002 पर एक प्रस्ताव पारित किया था। चूंकि बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया था, इसलिए वादी ने कथित रूप से 14.8.2006 दिनांकित एक पंजीकृत नोटिस दिया था, जिसे 13.6.2011 पर अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण बनाया गया था। 4. नगरपालिका समिति द्वारा दायर लिखित बयान में यह स्वीकार किया गया है कि संपत्ति प्राप्त करने के बाद नीलामी के लिए रखी गई थी

उपायुक्त से अनुमति। हालाँकि, वादी के कब्जे को अवैध कब्जा कहा गया था। यह अनुरोध किया गया था कि नगर समिति उचित बिक्री विलेख के बिना निष्पादित करने में असमर्थ है

सक्षम प्राधिकारी अर्थात हरियाणा सरकार की मंजूरी।

संक्षेप में, "नगरपालिका समिति" नगरपालिका समिति, बरवाला, जिला।

हिसार, हरियाणा। इसके सचिव/राष्ट्रपति v. जय नारायण और कंपनी [हेमंत गुप्ता, जे।]

5. विद्वत विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दों पर निष्कर्ष देने के बाद 9.3.2016 दिनांकित निर्णय और डिक्री के माध्यम से मुकदमे का फैसला सुनाया। पक्षकारों की दलीलों का दृष्टिकोणः

4. क्या वादी के पास वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है? 5. राहत "।

6. निचली अदालत के फैसले और फरमान के खिलाफ नगर समिति ने पहली अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया गया।

5.9.2016 . दूसरी अपील को भी दिनांक 1.5.2018 के विवादित फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

7. इस न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जिस नीलामी में वादी सबसे अधिक बोली लगाने वाला था, वह थी

उपायुक्त द्वारा निदेशक स्थानीय निकायों को नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति की मंजूरी लेने के लिए संबोधित किया जाता है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा वादी के पक्ष में एक बार की गई नीलामी को कोई मंजूरी नहीं दी गई थी। यह तर्क दिया गया था कि जब तक नीलामी की पुष्टि नहीं हो जाती, केवल यह तथ्य कि वादी सबसे अधिक बोली लगाने वाला था, उसे कोई न्यायसंगत और कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करेगा। बिक्री की पुष्टि और बोली स्वीकार करने वाला पत्र जारी होने के बाद ही वादी किसी भी लागू करने योग्य अधिकार का दावा कर सकता है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि वादी में है संपत्ति का अनधिकृत और अवैध कब्जा। यह तर्क दिया गया था कि सार्वजनिक नीलामी द्वारा संपत्ति की बिक्री की मंजूरी स्वयं नीलामी की पुष्टि के बराबर नहीं है, इसलिए, इसके अभाव में

राज्य सरकार द्वारा बिक्री की पुष्टि, वादी को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यह भी तर्क दिया गया कि वादी ने इस न्यायालय के समक्ष अपने जवाबी हलफनामे में हरियाणा नगरपालिका सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, [2022] 16 एस. सी. आर. की धारा 10 (2) (ई) के साथ पठित धारा 5 पर भरोसा किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1974 हरियाणा नगरपालिका प्रबंधन के नियम 2 (4) के साथ पढ़ा गया

नगरपालिका संपत्ति और राज्य संपत्ति नियम, 1976 3, हालांकि 1974 के अधिनियम को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा राजेंद्र प्रसाद और अन्य मामलों में असंवैधानिक घोषित किया गया है। वी. हरियाणा राज्य & Ors.4। यहां तक कि प्रथम अपीलीय न्यायालय और द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने भी नगरपालिका समिति द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए 1974 के अधिनियम का उल्लेख किया है।

8. जब आई. डी. 1 पर इस अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए अपील आई, तो वादी के वकील का ध्यान राजेंद्र प्रसाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें 1974 के अधिनियम को अवैध घोषित किया गया था। इसलिए, उपरोक्त क़ानून के बल पर जमीना शमिलात देह को सौंपना ही मान्य नहीं था।

हालाँकि, वादी के वकील श्री संचार आनंद ने प्रस्तुत किया कि ऐसा मामला नहीं है कि संपत्ति 1974 के अधिनियम के बल पर नगर पालिका के पास निहित है। यह तर्क दिया गया था कि संपत्ति को रखा गया था

उपायुक्त की पूर्व मंजूरी के बाद और बाद में एक्स. पी./34 के माध्यम से नीलामी की पुष्टि की जाती है। इसलिए, एक बार वादी

यदि सबसे अधिक बोली लगाने वाला पाया गया है और उपायुक्त द्वारा बिक्री की पुष्टि की गई है, तो वादी को अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए आदेश दिया गया है।

9. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और पाया है कि नीचे दिए गए तीन न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री, कम से कम कहने के लिए, कानून के प्रावधानों के साथ-साथ तथ्यात्मक स्थिति का एक विकृत अध्ययन है। वर्तमान विवाद को समझने के लिए 1976 के नियमों के नियम 2 का उल्लेख किया जाना चाहिए। यह.

इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

" 2. अलगाव के लिए प्रक्रिया। — (1) स्थायी रूप से या दस साल से अधिक की अवधि के लिए अलग करने का प्रस्ताव करने वाली नगरपालिका समिति

भूमि या अन्य अचल संपत्ति जिसका वह मालिक है,

मंजूरी के लिए उपायुक्त को आवेदन करें।

(2) उप-नियम (1) के तहत एक आवेदन के साथ प्रस्तावित संपत्ति की एक योजना होगी जिसे एक साथ अलग किया जाएगा -

इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र ए में कथन। (3) उपायुक्त आवेदन पर एक आदेश दर्ज करेगा, -

2 संक्षेप में, "1974 अधिनियम"

3 संक्षेप में, "1976 के नियम"

(i) इसे मंजूरी देना (ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो वह उचित समझता है); या

((ii) इसे मंजूरी देने से इनकार करना; बशर्ते कि नीलामी द्वारा कोई भी बिक्री तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि उपायुक्त द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। (4) जब उपायुक्त नीलामी द्वारा बिक्री के लिए मंजूरी दे देता है, तो उपरोक्त प्रपत्र ए नियत समय में उसे प्रपत्र बी में दिखाए गए नीलामी के विवरण के साथ फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। उपायुक्त उस पर या तो बिक्री की पुष्टि करेगा या इसकी पुष्टि करने से इनकार कर देगा। यदि उपायुक्त बिक्री की पुष्टि करने से इनकार कर देता है, तो वह अमान्य होगा।

10. 1976 के नियमों में दो अधिनियमों को पूरा करने पर विचार किया गया है

उपायुक्त, जिनमें से एक बिक्री के संचालन की मंजूरी है जो 25.10.1995 पर दी गई थी। इस प्रकार, जहां तक अनुपालन है 1976 के नियमों के नियम 2 (3) का खंड (i) संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान 1976 के नियमों के नियम 2 (3) का उप-नियम (ii) है जो

यह विचार करता है कि नीलामी द्वारा कोई भी बिक्री तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि

उपायुक्त द्वारा पुष्टि की गई। वादी द्वारा निर्दिष्ट दिनांक 10.1.2007 (Ex P-34) का संचार उपायुक्त द्वारा नगर पालिका या वादी को किया गया संचार नहीं है कि

उनके द्वारा उठाया गया क्योंकि यह उपायुक्त से निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को अनुमोदन लेने के लिए अंतर-विभागीय संचार है, लेकिन किसी भी अनुमोदन के अभाव में, कोई अधिकार नहीं है। जमा होगा। संचार अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

अनुरोध है कि कृपया पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन जारी करें ताकि खरीदार मेसर्स जय नारायण एंड कंपनी के नाम पर भूमि की बिक्री विलेख नगर निगम द्वारा किया जा सके।

11. इसलिए, कोई भी अनुबंध कभी लागू नहीं हुआ। इस न्यायालय के निर्णय को इस रूप में रिपोर्ट किया जा सकता है

एक शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य। वी. ऑर्किड

स्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ', जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

देर:

" 13. सबसे पहले, हम इस प्रश्न की जांच करते हैं कि क्या बोली की स्वीकृति और आवंटन पत्र जारी करने के अभाव में कोई निष्कर्षित अनुबंध नहीं होने के कारण, वाद को वादी द्वारा मांगी गई घोषणात्मक राहत और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए बनाए रखने योग्य कहा जा सकता है। वादी ने इस घोषणा के लिए प्रार्थना की है कि बोली की अस्वीकृति अवैध थी। केवल इससे, वादी आबंटन का औपचारिक पत्र जारी करने के लिए परिणामी अनिवार्य निषेधाज्ञा का हकदार नहीं हो सकता था। न्यायालय न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हुए बोली को स्वीकार नहीं कर सकता था। संबंधित अधिकारियों द्वारा बोली को कभी स्वीकार नहीं किया गया था। यह स्वीकार किए जाने के बाद बोली को रद्द करने का मामला नहीं था। इस प्रकार यह मानते हुए भी कि वादी के मामले के अनुसार प्रशासक के पास शक्ति नहीं थी और मुख्य प्रशासक के पास बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति थी,

मुख्य प्रशासक द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। इस प्रकार, केवल यह घोषणा करके कि प्रशासक द्वारा बोली की अस्वीकृति अवैध थी, वादी का अधिकार नहीं हो सकता था

आबंटन पत्र जारी करने में परिणामी राहत। इस प्रकार सूट,

जिस प्रपत्र में इसे दाखिल किया गया था, वह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मांगी गई राहत के लिए बनाए रखने योग्य नहीं था कि वादी को आवंटन पत्र जारी किए जाने के अभाव में कोई निष्कर्षित अनुबंध नहीं था, जो दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए एक अनिवार्य शर्त थी।

14. यह एक स्थापित कानून है कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को नीलामी अपने पक्ष में कराने का कोई निहित अधिकार नहीं है। सरकार या उसका प्राधिकरण सार्वजनिक राजस्व के हित में उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति को वैध रूप से बनाए रख सकता है। हमारी सुविचारित राय है कि वादी के पक्ष में कोई अधिकार अर्जित नहीं किया गया था और कोई निहित अधिकार केवल इसलिए अर्जित नहीं किया गया था क्योंकि उसकी बोली राशि सबसे अधिक थी और उसने बोली राशि का 10 प्रतिशत जमा किया था। 1978 के विनियमों के विनियम 6 (2) के अनुसार, मुख्य प्रशासक द्वारा बोली की स्वीकृति पर आवंटन पत्र जारी किया जाना है।

और उसके 30 दिनों के भीतर, सफल बोलीदाता को जमा करना होगा बोली राशि का 15 प्रतिशत। तत्काल मामले में आवंटन पत्र

7) 4 एस. सी. सी. 243 नगरपालिका समिति, बरवाला, जिला। हिसार, हरियाणा।

इसके सचिव/राष्ट्रपति v. जय नारायण और कंपनी

[हेमंत गुप्ता, जे।]

बोली की अस्वीकृति का दृष्टिकोण। इस प्रकार कोई निष्कर्ष नहीं निकला अनुबंध "।

12. पंजाब और अन्य राज्यों में। वी. मेहर दीन 'इस न्यायालय ने कहा कि राज्य या प्राधिकरण जिसे अर्थ के भीतर राज्य माना जा सकता हैसंविधान के अनुच्छेद 12 के तहत बोली की उच्चतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 18. इस न्यायालय ने कई मामलों में सार्वजनिक नीलामी में उच्चतम बोलीदाता के अधिकार की जांच की है और यह बार-बार बताया गया है कि जिस राज्य या प्राधिकरण को संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य माना जा सकता है, वह बोली की उच्चतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। उच्चतम बोली या उच्चतम बोलीदाता की स्वीकृति हमेशा सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने की शर्तों के अधीन होती है और उच्चतम बोलीदाता के अधिकार की जांच हमेशा विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में अस्थायी होती है जिसमें नीलामी आयोजित की गई है। वर्तमान मामले में, कोई अधिकार अर्जित नहीं हुआ था

नियम योजना, 1976 के अध्याय 3 के नियम 8 (1) (एच) के तहत विचार किए जाने वाले वैधानिक प्रावधानों के आधार पर और नीलामी की शर्तों के संदर्भ में भी प्रत्यर्थी को

सार्वजनिक नीलामी के लिए अधिसूचना "।

13. इस न्यायालय ने यह भी माना है कि अंतर-विभागीय

संचार और/या फाइल पर टिप्पणियाँ राज्य के निर्णय नहीं हैं। यह संविधान पीठ द्वारा बचित्तर सिंह बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में माना गया है। पंजाब राज्य 'जो केवल कुछ लिख रहा हैफाइल पर ऑर्डर की राशि नहीं होती है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 10. राज्य का व्यवसाय जटिल है और जरूरी है कि बड़ी संख्या में अधिकारियों और अधिकारियों की एजेंसी के माध्यम से संचालित किया जाना। इसलिए संविधान में पी. ई. पी. एस. यू. के राजप्रमुख द्वारा बनाए गए कार्य नियमों की आवश्यकता है और वैसा ही किया गया है।

उपबंध करते हुए कि कार्रवाई संबंधित प्राधिकारी द्वारा राजप्रमुख के नाम पर की जानी चाहिए। यह तब तक नहीं है जब तक कि इस औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है कि कार्रवाई को राज्य या यहाँ, राजप्रमुख द्वारा माना जा सकता है। वास्तव में, यह संभव है कि किसी विशेष स्तर पर किसी विशेष मामले के बारे में एक राय व्यक्त करने के बाद कोई मंत्री या मंत्रिपरिषद काफी अलग राय व्यक्त कर सकता है,

एक जो पहले की राय के पूरी तरह से विपरीत हो सकता है। जो कि इनमें से क्या राज्य सरकार का "आदेश" माना जा सकता है?

इसलिए, राय बनाना एक निर्णय के बराबर है

सरकार को संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए। इस संबंध में हम निर्णय से निम्नलिखित उद्धरण दे सकते हैं -

पंजाब राज्य बनाम में इस न्यायालय का। सोधी सुखदेव सिंह (आकाशवाणी)

1961 पृष्ठ 512 पर एससी 493]:

XXX

XXX

XXX

11. इसलिए, हमारी राय है कि टिप्पणी या आदेश

राजस्व मंत्री, पी. ई. पी. एस. यू. का अपीलार्थी के लिए कोई लाभ नहीं है।

14. इसके अलावा, इस न्यायालय ने एक निर्णय में संघ के रूप में बताया

भारत बनाम. अवतार सिंह 3 ने कहा कि पत्र में विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम 1954 की धारा 33 के तहत केंद्र सरकार के निर्णय को दर्ज नहीं किया गया है, ताकि केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सके। यह निम्नानुसार देखा गयाः

" 19 ..... इसलिए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इलाज करने में गलती की थी

श्री दुबे का 31 मई, 1963 का पत्र

अनुभाग द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 33. निर्णय लेने का कोई कारण नहीं था और न ही कोई अवसर था

केंद्र सरकार धारा 33 के तहत शक्ति का प्रयोग करेगी और इसलिए, उच्च न्यायालय से सहमत होना संभव नहीं है कि

पत्र में धारा के तहत केंद्र सरकार के निर्णय को दर्ज किया गया है

33. यदि श्री दुबे का पत्र केंद्र का निर्णय नहीं है अधिनियम की धारा 33 के तहत सरकार एक आवश्यक परिणाम के रूप में,

विवादित निर्णय के लिए प्रस्तुत किए गए निर्णय के रूप में माना जाना चाहिए

धारा 33 के तहत पुनरीक्षण शक्ति का पहली बार प्रयोग और

इसलिए, इसे अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं कहा जा सकता है। इसमें मामले को देखते हुए, अपील की अनुमति देनी होगी। "

15. उड़ीसा राज्य और अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय में v.

मेस्को स्टील्स लिमिटेड और 'अनदर', इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय इस धारणा पर कार्यवाही करने में त्रुटि कर रहा था कि एक अंतिम निर्णय लिया गया था और जिसे रद्द करना एक अंतर-विभागीय संचार से अधिक कुछ नहीं था जो सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे अच्छा कदम था। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः 8 (1984) 3 एस. सी. सी. 589 9 9 (2013) 4 एस. सी. सी. 340 निसिपाल समिति, बरवाला, जिला।

हिसार, हरियाणा। इसके सचिव/राष्ट्रपति v. जय नारायण और कंपनी [हेमंत गुप्ता, जे।]

" 20. इसके विपरीत, उन कारणों को निर्धारित करने वाले कारण बताए जाने के नोटिस के मुद्दे ने सरकार को प्रतिवादी से प्रस्तावित पट्टा क्षेत्र के एक हिस्से को फिर से शुरू करने का दावा करने के लिए प्रेरित किया- कंपनी ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया कि कारण बताए जाने का नोटिस जारी करने की पूरी प्रक्रिया अस्थायी थी और इस विषय पर किसी भी स्तर पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। सरकार द्वारा अस्थायी रूप से क्षेत्र को आंशिक या पूर्ण रूप से फिर से शुरू करने का निर्णय लेने के बाद ही कारण बताएँ नोटिस जारी किया जा सकता था। इस मामले को किसी भी विवाद से परे रखने के लिए, श्री ललित ने राज्य सरकार की ओर से बार में एक स्पष्ट बयान दिया कि पट्टा क्षेत्र के किसी भी हिस्से को फिर से शुरू करने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा अब तक और आज तक जो कुछ भी हुआ था, उसे अनिवार्य रूप से अस्थायी माना जाना चाहिए। ऐसा मामला होने के कारण उच्च न्यायालय ने एक धारणा पर कार्यवाही करने में गलती की थी

कि एक अंतिम निर्णय लिया गया था और क्या रद्द करने में

अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे अच्छा एक कदम का गठन करना सरकार का निर्णय। उस दृष्टिकोण से रिट याचिका

वह पूर्व-परिपक्व था और उसे इस तरह निपटाया जाना चाहिए था। प्रश्न संख्या 1 का हमारा उत्तर तदनुसार सकारात्मक है।

16. इस न्यायालय ने एक निर्णय में उत्तरांचल राज्य बनाम के रूप में रिपोर्ट किया। ! कुमार वैश 1 ने माना कि फाइल में दर्ज एक टिप्पणी केवल एक नोट है।

जी सरल और कुछ और नहीं। यह केवल विशेष व्यक्ति द्वारा व्यक्त की गई अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कल्पना के किसी भी विस्तार से, इस तरह के जी को सरकार का निर्णय नहीं माना जा सकता है। यह माना गया था

" 24. फाइल में दर्ज एक नोट केवल एक नोट सरल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह केवल विशेष व्यक्ति द्वारा राय की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कल्पना के किसी भी विस्तार से, इस तरह के नोटिंग को सरकार का निर्णय नहीं माना जा सकता है। भले ही सक्षम प्राधिकारी गुण-दोष पर फाइल में अपनी राय दर्ज करता है

विचाराधीन मामले को सरकार का निर्णय नहीं कहा जा सकता है जब तक कि इसे पवित्र और कार्य नहीं किया जाता है।

उस पर

अनुच्छेद 77 (1) और (2) या अनुच्छेद 166 (1) और (2) के अनुसार आदेश जारी करके। फाइल में नोटिंग या यहां तक कि एक निर्णय भी केवल पक्षों के अधिकार को प्रभावित करने वाले आदेश में समाप्त हो जाता है।

जब यह, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से व्यक्त किया जाता है और अनुच्छेद 77 (2) या अनुच्छेद 166 (2) में दिए गए तरीके से प्रमाणित किया जाता है। एक टिप्पणी या यहाँ तक कि एक निर्णय दर्ज किया गया

फाइल में हमेशा समीक्षा की जा सकती है/उलट दी जा सकती है/खारिज की जा सकती है या

पलट दिया जाता है और न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए पहले की सूचना या निर्णय का संज्ञान नहीं ले सकता है। (पंजाब राज्य बनाम देखें। सोधी सुखदेव सिंह ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 493, बचित्तर सिंह बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 395, बिहार राज्य बनाम। कृपालु शंकर (1987) 3 एस. सी. सी. 34, राजस्थान आवास बोर्ड बनाम। श्री किशन (1993) 2 एस. सी. सी. 84, सेठी ऑटो सर्विस स्टेशन बनाम। डीडीए (2009) 1 एससीसी 180 और शांति स्पोर्ट्स क्लब बनाम। संघ का भारत (2009) 15 एससीसी 705)। "

17. इस प्रकार, उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन की मांग करने वाला पत्र उनके द्वारा दी गई मंजूरी नहीं है, जो

वादी द्वारा न्यायालय में लागू किया जा सकता है। 18. मुकदमा इस कारण से बनाए रखने योग्य नहीं था कि वादी के पास इस तरह की डिक्री का दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं था

सार्वजनिक नीलामी में भागीदारी का आधार। दूसरा, भले ही वादी को नीलामी के आधार पर कोई अधिकार हो, वह तथाकथित समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा कर सकता है। ऑर्किड में, वादी ने घोषणा की डिक्री और परिणामी अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस तरह का मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि केवल उच्चतम बोली जमा करने से कोई निष्कर्षित अनुबंध अस्तित्व में नहीं आया था। इन परिस्थितियों में, अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था।

19. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालाँकि वादी ने 14.9.2006 पर एक नोटिस दिया था, लेकिन फिर भी मुकदमा वर्ष 2011 में दायर किया गया था।

वर्ष 1999 में आयोजित नीलामी। अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा

13.6.2011 पर या उसके बाद, यानी 23.3.1999 पर नीलामी आयोजित होने के 12 साल से अधिक समय बाद दाखिल किया गया था। इसलिए, विशेष के लिए भी सूट

प्रदर्शन को सीमा द्वारा बाधित किया गया था क्योंकि इस तरह का मुकदमा, भले ही बनाए रखने योग्य हो, सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 54 के संदर्भ में नीलामी आयोजित होने के तीन साल के भीतर दायर किया जा सकता था। निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा सीमा की अवधि से परे दायर किया गया था और ठीक से गठित नहीं किया गया था। अदालतों ने ऐसे पहलू की जांच नहीं की है जिसकी कानूनी रूप से जांच होने की उम्मीद थी।

20. 1973 के अधिनियम की धारा 61 संपत्ति के निहित होने से संबंधित है।

नगरपालिका समिति के साथ और संपत्ति का उपयोग कैसे किया जा सकता है। धारा 61 और 62 इस प्रकार हैं:

निसिपाल समिति, बरवाला, जिला। हिसार, हरियाणा। इसके सचिव/राष्ट्रपति V. जय नारायण और कंपनी

[हेमंत गुप्ता, जे।]

" 61. समिति में निहित संपत्ति। - (1) किसी भी विशेष के अधीन

कहने के लिए, (क) सभी सार्वजनिक शहर-दीवारें, द्वार, बाजार, स्टॉल, बूचड़खाने,

खाद और रात की मिट्टी के डिपो और हर जगह के सार्वजनिक भवन वर्णन जिनका निर्माण या रखरखाव किया गया है

नगरपालिका निधि;

(ख) आपूर्ति, भंडारण के लिए सभी सार्वजनिक धाराएं, झरने और कार्य

और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए पानी का वितरण, और सभी पुल, भवन, इंजन, सामग्री और उससे जुड़ी या उससे संबंधित चीजें, और कोई भी निकटवर्ती भूमि, जो निजी नहीं है

किसी भी सार्वजनिक टैंक या कुएं से संबंधित संपत्ति;

(ग) सभी सार्वजनिक सीवर और नालियां, और किसी भी सार्वजनिक सड़क में या उसके नीचे या किसी सार्वजनिक सड़क के साथ समिति द्वारा या उसके लिए निर्मित सभी सीवर, नाली, पुलिया और जलमार्ग, और सभी कार्य, सामग्री और उससे संबंधित चीजें;

(घ) सभी धूल, मैल, गोबर, राख, कचरा, पशु पदार्थ या गंदगी या

द्वारा एकत्र किए गए किसी भी प्रकार के कचरे या जानवरों के शव गलियों, घरों, सीवरों, सीसपूलों या सेसपूलों से समिति

समिति द्वारा निर्धारित स्थानों पर कहीं और या जमा किया गया धारा 152;

(ई) सभी सार्वजनिक दीपक, दीपस्तंभ और उनसे जुड़े उपकरण।

या उससे संबंधित;

(च) राज्य सरकार द्वारा समिति को हस्तांतरित या स्थानीय सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपहार, खरीद या अन्यथा अधिग्रहित सभी भूमि या अन्य संपत्ति; (छ) सभी सार्वजनिक सड़कें, जो राज्य के स्वामित्व वाली भूमि नहीं हैं।

सरकार, और भुगतान, पत्थर और अन्य सामग्री, और उन पर उगने वाले पेड़, और निर्माण, सामग्री, उपकरण,

और ऐसी सड़कों के लिए प्रदान की गई चीजें; [2022] 16 एस. सी. आर.

(ज) शामलात देह।

(2) जहां कोई अचल संपत्ति राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किसी समिति को बिक्री के अलावा अन्यथा हस्तांतरित की जाती है, तो इसे ऐसे हस्तांतरण की शर्त माना जाएगा। जब तक इसके विपरीत विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया जाता है कि यदि संपत्ति राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय फिर से शुरू की जाती है, तो उसके लिए देय मुआवजा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, किसी भी मामले में, राज्य सरकार को हस्तांतरण के लिए दी गई राशि, यदि कोई हो, लागत या वर्तमान मूल्य के साथ, समिति द्वारा भूमि पर बनाए गए किसी भी भवन या निष्पादित अन्य कार्यों में से जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगा।

62. नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शा। — (1) समिति सभी अचल संपत्तियों की एक सूची और एक नक्शा बनाए रखेगी।

जिसका समिति स्वामी है, या जो इसमें निहित है या जो

यह राज्य सरकार के लिए विश्वास में है।

(2) ऐसी सूची और मानचित्र की प्रतियां उपायुक्त और ऐसे अन्य अधिकारी या प्राधिकरण के कार्यालय में जमा की जाएंगी जो राज्य सरकार निर्देशित करे और उसमें किए गए सभी परिवर्तनों के बारे में उपायुक्त या अन्य अधिकारी या प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

22. 1973 के अधिनियम की धारा 62 के संदर्भ में, नगर समिति को सभी अचल संपत्तियों की सूची और नक्शा बनाए रखना आवश्यक है। जिसका समिति स्वामी है या जो इसमें निहित है या जो वह राज्य सरकार के लिए न्यास में रखती है। भूमि की प्रकृति के अभाव में कि क्या यह नगर पालिका के स्वामित्व वाली भूमि है और अधिनियम की धारा 61 के संदर्भ में नगर पालिका के पास निहित नहीं है, अदालतों द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता था। यह रिकॉर्ड पर नहीं आया है कि क्या ऐसी भूमि नगर समिति के पास निहित थी या इसका उल्लेख नगर निगम समिति, बरवाला, जिला की संपत्तियों की सूची में नहीं था।

हिसार, हरियाणा। इसके सचिव/राष्ट्रपति v. जय नारायण और कंपनी [हेमंत गुप्ता, जे।]

समिति। हम पाते हैं कि नगरपालिका समिति सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षक के रूप में अपनी संपत्ति की रक्षा करने में विफल रही थी।

23. अध्याय 12 (नियंत्रण) में आने वाले 1973 के अधिनियम की धारा 245 उपायुक्त या किसी अन्य अधिकारी को सशक्त बनाती है जो

उसमें सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सहायक आयुक्त का पद। उपायुक्त के पास धारा के तहत समिति के किसी भी प्रस्ताव या आदेश को निलंबित करने की शक्ति है।

246 , 247 या 1973 के अधिनियम के 248 के बारे में आयुक्त को सूचित किया जाना है। 24. 1973 के अधिनियम की धारा 250 राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः

(ख) ऋणों का पुनर्भुगतान और दायित्वों का निर्वहन;
((ग) करों का संग्रह;

((घ) नियमों और उपनियमों का पालन करना।
(ङ) विकास के उपायों और संवर्धन के उपायों को अपनाना।

सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा और कल्याण;

(च) स्वच्छता और स्वच्छता;
(छ) अग्निशमन दल की स्थापना और रखरखाव।

25. यह राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में है, राज्य सरकार की ओर से 12.9.1994 पर एक संदेश दिया गया था

निदेशक, स्थानीय निकाय, हरियाणा ने हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्तों से कहा कि सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी नगरपालिका संपत्ति नहीं बेची जाएगी। विद्वत विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया है इस कारण से ऐसा संचार कि ऐसा संचार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार साबित नहीं हुआ है। यह.

दायर किए गए दीवानी मुकदमे में एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया। वास्तव में, आपत्ति उठाई गई यह था कि राज्य को एक पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इस तरह का संचार [2022] 16 एस. सी. आर.

जब समिति ने डी. डब्ल्यू.-1 के रूप में सचिव श्री महावीर सिंह और डी. डब्ल्यू.-2 के रूप में भवन निरीक्षक श्री संदीप कुमार से पूछताछ की तो नगरपालिका समिति ने उन्हें पेश किया। इस तरह का संचार आधिकारिक स्रोत से रिकॉर्ड पर आया है जो अनुमान लगाएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के तहत शुद्धता कि आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए गए हैं। मूल अभिलेख को सरकारी अधिकारियों को बुलाकर साबित करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस तरह के दस्तावेज को नगर समिति के अधिकारियों द्वारा आधिकारिक अभिलेख से प्रस्तुत किया गया था।

26. इस प्रकार, चूंकि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश में है

1973 के अधिनियम की धारा 250 की शर्तों के अनुसार, उपायुक्त राज्य सरकार से अनुमोदन लेने के लिए बाध्य था। इस तरह के निर्देशों की बाध्यकारी प्रकृति इस तथ्य से स्पष्ट है कि उपायुक्त ने राज्य सरकार से मंजूरी मांगी है जब इस आशय का एक संचार 10.1.2007 पर संबोधित किया गया था।

27. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि वादी को मंजूरी दे दी गई है

अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए डिक्री न केवल सीमा की अवधि से परे बल्कि क़ानून और उसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में।

28. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है। फैसला और फरमान

तीन महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट। रुपये की राशि। 15,76,150 / के अवैध कब्जे के लिए नुकसान के लिए जब्त किया जाएगा कानून के उल्लंघन में नीलामी की तारीख से 20 साल से अधिक समय तक भूमि।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन और अमरेंद्र कुमार